

को लेकर विवाद उत्पन्न होने के साथ साथ प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

**2. सुविधा का संतुलन :-** चूंकि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में निहित होना साबित हुआ है तथा प्रत्येक सहखातेदारी अपने हक हिस्से तक ऐसी सहखातेदारी भूमि के प्रत्येक भाग पर कब्जा माना जाता है। लिहाजा यह बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

**3. अपूर्णनीय क्षति :-** चूंकि उपर्युक्त दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित हुये हैं साथ ही भू-अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण द्वारा बिना कानूनन बंटवाड़ा करवाये अविभाजित भूमि में पक्का निर्माण करने पर आमादा है तथा यह भी सम्भावना रहती है कि ऐसा आगे भी किया जा सकता है तथा यदि ऐसा होता है तो वादग्रस्त आराजी की मौका स्थिति तथा प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णय में जटिलता एवं विलम्ब होना स्वाभाविक है जिसकी अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी को ही होना स्वाभाविक है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि चूंकि वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी भूमि है, जिसमें सहखातेदारान् के मध्य मौके की स्थिति को लेकर विवाद उत्पन्न होने के साथ साथ प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है, अतः वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद बैचान, हस्तान्तरण एवं प्रार्थी के कब्जे-काश्त में दखलदांजी न करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से निरुद्ध किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक है।

#### **-: आदेश :-**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा- बिरोल, पटवार हल्का- बिरोल, तहसील जैतारण के खसरा नंबर 373/9 रकबा 1.1250 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम का बैचान, हस्तान्तरण नहीं करें एवं प्रार्थी के कब्जे-काश्त में दखलदांजी नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी जैतारण  
जिला-ब्यावर

सहायक जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी जैतारण  
जिला-ब्यावर

निर्णय आज दिनांक 25/11/2024 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।

